223
08.03.22

बिहार सरकार
बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग।

आदेश

राज्य सरकार के 07 निश्चयों में एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अधीन Kushal Yuva Programme & Domain skilling कार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के पंजीकरण की प्रकिया प्रारम्भ की गई थी, जिसके आधार पर प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सी JIGYASA EDUCATIONAL SERVICES PVT.LTD. के द्वारा सारण जिला में KYP Code 08020057 & DS Code-08020171 संचालित किये जाने हेतु पंजीकृत किया गया।

कालान्तर में Kishu computer Institute, नयागॉव, सोनपुर, सारण की संचालिका श्रीमती शबनम कुमारी के द्वारा एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि KYP Code 08020057 & DS Code-08020171 का संचालन Franchisee Mode में किया जा रहा है। JIGYASA EDUCATIONAL SERVICES PVT.LTD. एवं Kishu computer Institute के बीच Franchisee Mode हेतु कोई एकरारनामा नहीं किया है, लेकिन केन्द्र का संचालन 40:60 % के Revenue sharing के आधार पर किया जा रहा है। Franchisee Mode में केन्द्र नहीं चलाया जा सकता है। इससे संबंधित सूचना पूर्व में ही सभी केन्द्रों को दी जा चुकी है।

श्रीमती शबनम कुमारी से प्राप्त आवेदन के अलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–623 दिनांक–13.09.2021 के आलोक में जिला नियोजन पदाधिकारी, सारण तथा श्रम अधीक्षक, सारण से संबधित मामले की संयुक्त जॉच करायी गई। पत्र संख्या–624 दिनांक–13.09.2021 के द्वारा JIGYASA EDUCATIONAL SERVICES PVT.LTD. के निदेशक, श्री सुनील कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री सुनील कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि JIGYASA EDUCATIONAL SERVICES PVT.LTD. के द्वारा किसी भी प्रकार का एकरारनामा नहीं किया गया। पुनः उक्त मामले की जॉच बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–831 दिनांक–02.12.2021 के आलोक में कराया गया। सम्यक जॉचोपरान्त स्थिति निम्नवत् है।

1 श्रीमती शबनम कुमारी द्वारा यह बताया गया है कि दोनों ही केन्द्रों का संचालन एवं प्रबंधन उनके द्वारा किया जाता है तथा इसके लिये BSDM से प्राप्त राशि का 60 प्रतिशत देने का वादा किया गया था। शबनम कुमारी द्वारा इस संबंध में बिजली बिल, ब्रॉडबैण्ड बिल, उपस्कर कय संबंधी बिल इत्यादि प्रस्तुत किया गया, जिसमें शबनम कुमारी, रविशंकर कुमार एवं किशु कम्प्यूटर इन्स्टीच्यूट के नाम से कय के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। 60 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधी एग्रीमेंट की मांग करने पर उनके द्वारा बताया गया कि इस सबंध में कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं हुआ है।

2. प्रस्तुत किरायानामा शबनम कुमारी के नाम से है। इस संबंध में श्री सुनील कुमार द्वारा अपना पक्ष रखते हुये बताया गया है कि श्रीमती शबनम कुमारी पूर्व में मेरी छात्रा रही है। श्रीमती कुमारी को जिज्ञासा एजुकेशनल सर्विर्सेज प्रा0 लि0 द्वारा कोर्डिनेटर के पद पर नियुक्त किया तथा श्रीमती कुमारी ने बतौर कोर्डिनेटर अपनी सेवायें दी है।

3. श्रीमती शबनम कुमारी द्वारा BSDM से केन्द्र को प्राप्त राशि (कुल रुपये 26,60,394.00) में से श्री सुनील कुमार एवं सुजीत कुमार द्वारा उन्हे उपलब्ध करायी गई राशि रु0 524700.00 का विवरण प्रस्तुत किया गया। साथ ही शबनम कुमारी द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप श्री सुनील कुमार एवं सुजीत कुमार पर लगाया गया है।

4. इस संबंध में श्री सुनील कुमार द्वारा बताया गया है कि श्रीमती कुमारी द्वारा BSDM के माध्यम से दिया जाने वाला Invoice Amount को अपने Account में Direct Transfer के नियत से हमारे अनुमति के बिना Account change process कर दिया गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद BSDM को Resume का पत्र देकर Resume कराया गया। श्री सुनील कुमार द्वारा यह भी बताया गया है कि श्री कुमारी द्वारा संस्थान के विरुद्ध उपरोक्त Illegal Activities की जानकारी मिलते ही श्रीमती कुमारी (कोर्डिनेटर) को ईमेल के माध्यम से Terminate कर दिया गया। श्री सुनील कुमार द्वारा श्रीमती कुमारी के आरोपों को तथ्यहीन एवं भ्रामक बताया गया।

5. पत्र संख्या–623, दिनांक–13.09.2021 एवं संख्या–831 दिनांक–02.12.2021 द्वारा जिला नियोजन पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक, सारण से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के अनुसार यह मामला Franchisee mode में Revenue sharing का है। हालॉकि Franchisee mode से संबंधित एकरारनामा का कोई साक्ष्य नहीं है। मकान का एकरारनामा, बिजली एवं फोन का कनेक्शन तथा अन्य सामाग्रियों को क्रय के अतिरिक्त श्रीमती कुमारी द्वारा स्टॉफ का भुगतान, पानी का बिल, स्वीपर तथा जेनेरेटर के बिलों के भुगतान का साक्ष्य भी उपलब्ध कराया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कौशल विकास केन्द्र KYP Code 08020057& DS Code-08020171 का संचालन सीधे तौर JIGYASA EDUCATIONAL SERVICES PVT.LTD. द्वारा नही किया जा रहा है। अपितु उक्त केन्द्रों का संचालन **Revenue sharing** के आधार पर किया जा रहा है। **Franchisee Mode** में केन्द्र के संचालन से अनावश्यक रुप से केन्द्र को प्राप्त होने वाले राजस्व का बंटवारा होता है, जिससे केन्द्र में प्रशिक्षण की गुण्वत्ता प्रभावित होती है। JIGYASA EDUCATIONAL SERVICES PVT.LTD. के द्वारा बिचौलिये की भूमिका निभायी जा रही है, जो कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिये हानिकारक है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में कुशल युवा केन्द्र KYP Code 08020057 & DS Code-08020171 का स्वामित्व उसके वास्तविक संचालनकर्ता किशु कम्प्यूटर इन्स्टीच्यूट की संचालिका शबनम कुमारी, पति का नाम–श्री रविशंकर कुमार, ग्राम–हासिलपुर, पोस्ट–नयागॉव, अंचल–सोनपुर, जिला–सारण के नाम पर परिवर्तित करने का आदेश दिया जाता है। वे आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर पोर्टल पर परिवर्तित किये जाने वाले सूचना यथा–Organisation Name, Centre Name, Owner Name, Pan detail of Owner, Bank account of Owner, email id & Mobile number of Owner की विवरणी बिहार कौशल विकास मिशन में जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर तदनुकूल संशोधन/परिवर्तन किया जा सके।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(आलोक कुमार)
सरकार के विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार।

ज्ञापांक– BSDM/SDM – 178/2021 — 223 पटना, दिनांक– 08.03.2022

प्रतिलिपि–JIGYASA EDUCATIONAL SERVICES PVT.LTD. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. किशु कम्प्यूटर इन्स्टीच्यूट की संचालिका शबनम कुमारी, पति का नाम–श्री रविशंकर कुमार, ग्राम–हासिलपुर, पोस्ट–नयागॉव, अंचल–सोनपुर, जिला–सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला नियोजन पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. Project Director, MKCL/Project Director, E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. मिशन प्रबंधक (वित एवं लेखा)/मिशन प्रबंधक (कार्यक्रम कियान्वयन)/मिशन प्रबंधक (समन्वय)/SPMU Inchrge सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. जिला कौशल प्रबंधक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/22

(आलोक कुमार)
सरकार के विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार।